

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

सम्मत बाई

बनाम रामचन्द्र जी फलाम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 21/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सम्मत बाई</u></p> <p>पत्नी श्री <u>रामचन्द्र जी फलाम</u></p> <p>निवासी- <u>भारीयो का खेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिलुण्ड</u>, <u>खेडा गिलुण्ड, भारीयो का खेडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>ग्राम गिलुण्ड के खाता सं० 1087 में अंकित आराजी कीता 7 कुल रकबा 1.6400</u>, <u>ग्राम खेडा गिलुण्ड के खाता सं० 3 में अंकित आराजी कीता 2 कुल रकबा 1.0300</u> ग्राम <u>भारीयो का खेडा के खाता सं० 88 में अंकित आराजी कीता 4 कुल रकबा 0.6900</u> हे कुल कीता <u>7+2+4=13</u> कुल रकबा <u>3.3600</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुण्ड, खेडा गिलुण्ड, भारीयो का खेडा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>ग्राम गिलुण्ड के खाता सं. 1087 में अंकित आराजी कीता 7 कुल रकबा 1.6400</u> हे, <u>ग्राम खेडा गिलुण्ड के खाता सं. 03 में अंकित आराजी कीता 2 कुल रकबा 1.0300</u> हे, <u>ग्राम भारीयो का खेडा के खाता सं 88 में अंकित आराजी कीता 4 कुल रकबा 0.6900</u> कुल कीता <u>7+2+4=13</u> रकबा <u>3.3600</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-00</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>